रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)—72.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 337] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 20, 1981/आषाढ़ 29, 1903
No. 337] NEW DELHI, MONDAY, JULY 20, 1981/ASADHA 29, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1981

का. आ. 575 (अ).—भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. 375 (अ), तारीख 22 जुलाई, 1975 द्वारा (जिसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) मैसर्स ग्यूकोनेट लि., कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम के प्रबंध को उक्त आदेश में निर्दिष्ट व्यक्तियों के निकाय ई 21 जुलाई, 1977 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, दो वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया था ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश संख्या का. आ. 405 (अ), तारीख 20 जून, 1977 द्वारा उक्त आदेश को 21 जुलाई, 1979 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, दो वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 406 (अ), तारीख 16 जुलाई, 1979 द्वारा उक्त आदेश की कालावधि 21 जुलाई, 1980 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 556 (अ), तारीख 21 जुलाई, 1980 द्वारा उक्त आदेश की कालावधि 21 जुलाई, 1981 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उक्त व्यक्तियों के निकाय द्वारा 21 जुलाई, 1982 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि तक जारी रखा जाना चाहिए ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त आदेश 21 जुलाई, 1982 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि तक प्रभावी रहेगा ।

[फा. सं. 6 (3)/79-सी. यू. एस.]

चन्द्र किशोर मोदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 20th July, 1981

S.O. 575(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 375(E) dated the 22nd July, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the industrial undertaking known as Messrs Gluconate Limited, Calcutta, had been taken over by the body of persons referred to in the said Order for a period of two years up to and inclusive of the 21st July, 1977 ;

And whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 405(E) dated the 20th June, 1977, the duration of the said Order was extended for a further period of two years up to and inclusive of the 21st July, 1979 ;

And whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 406(E), dated the 16th July, 1979, the duration of the said Order was extended for a further period of one year up to and inclusive of the 21st July 1980 ;

And whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 556(E), dated the 21st July, 1980, the duration of the said Order was extended for a further period of one year up to and inclusive of the 21st July, 1981 ;

And whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said body of persons should continue for a further period of one year up to and inclusive of the 21st July, 1982 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of one year up to and inclusive of the 21st July, 1982.

[F. No. 6(3)/79-CUS]
C. K. MODI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981